

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(2)न्याय/2013

जयपुर, दिनांक 09.12.16

::आज्ञा::


राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ विधि अधिकारियों की दो वर्ष की परिवीक्षाधीन आधार पर नियुक्ति इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 23.05.2016 को की गई थी, जिसमें उन्हें 7 दिवस के अन्दर पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित किया गया था।

कार्यग्रहण नहीं करने पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.07.2016 द्वारा अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करने का अतिरिक्त समय दिया जाकर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के बावजूद निम्न अभ्यर्थी आदेशों की अनुपालना में नियत अवधि में कार्यग्रहण करने में विफल रहे हैं।

अतः निर्देशानुसार निम्न अभ्यर्थीगण, जिनकी नियुक्ति कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर की गई थी, की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है:-


क्र. सं.	मेरिट नं.	अभ्यर्थी का नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	पता
1.	64	नगेन्द्र कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार	मकान नं.-480, गली नं.-1, गुर्जर कॉलोनी, दादरी, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-203207
2.	127	महेश्वरी बरोड़ पुत्री श्री लाभूराम बरोड़	मोहनपुरा बास, वार्ड नं.-24, नोखा, तहसील-नोखा, जिला-बीकानेर, राजस्थान।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित उपरोक्त अभ्यर्थी।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव